कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर (छ.ग.)

Phone no. 0771-2426024 Fax no.. 0771-2220622 Website-raipur.gov.in Email ID-raipur.cg@nic.in

/ / आदेश / /

क्रमांक / 1138 / अ.जि.द. / एस.डब्ल्यू / 2021 रायपुर, दिनांक 07 / 10 / 2021

नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए तथा आगामी माह में जिले में कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में वृद्धि की संभावना है। जिसे रोकने एवं नियंत्रण में रखने हेतु सभी संबंधित उपाय अमल लाया जाना उचित एवं आवश्यक हो गया है। जिसे दृष्टिगत रखते हुए रास गरबा / डांडिया, भजन के आयोजन के संबंध में निम्नानुसार आदेश प्रसारित किया जाता है :–

01. आयोजन में स्थल की क्षमता का 50 प्रतिशत अथवा 200 व्यक्ति जो भी कम हो के सम्मिलित होने की अनुमति होगी।
02. कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10.00 बजे तक ही किया जावे।
03. आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार पृथक–पृथक रखी जावे, जो टच फ्री मोड अवस्था में हो, तथा आयोजन स्थल को दिन में कम से कम 02 बार सेनेटाईज्ड किया जावे।
04. आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों का थर्मल स्क्रीनिंग कराया जाना, मास्क पहनना, समय–समय पर हैण्ड सेनेटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंशिंग तथा सोशल डिस्टेंशिंग अर्थात व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर / 06 फीट दूरी रखना अनिवार्य होगा।
05. आयोजन में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के संदर्भ में रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, ताकि भविष्य में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित पाया जाता है, तो उसका आसानी से कांटेक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
06. आयोजन करने वाले व्यक्ति द्वारा सैनेटाइजर थर्मल स्क्रीनिंग, आक्सीमीटर, हेंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जायेगी। थर्मल स्क्रिनिंग में बुखार पाये जाने अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाये जाने पर आयोजन स्थल में सम्मिलित / प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी आयोजक की होगी।
07. आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को कोविड वैक्सिन का दोनों डोज लगा हुआ होना अनिवार्य होगा।
08. कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को भारत सरकार / राज्य शासन एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन किया जाना होगा।
09. आयोजन में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप किया जावे।
10. आयोजन के दौरान किसी प्रकार के दुर्घटना से बचने के लिए अग्निशमन, प्राथमिक उपचार सामग्री उपलब्ध हो सुनिश्चित किया जावें।
11. आयोजन के पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा।
12. आयोजन से आम जनता बाधित ना हो। पार्किंग की व्यवस्था स्वयं के द्वारा की जावे।
13. आयोजन के दौरान किसी प्रकार के अस्त्र शस्त्र का प्रदर्शन न किया जावे। किसी प्रकार की फूहड़ता अश्लीलता प्रदर्शित न हो।
14. आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, इस हेतु पर्याप्त स्वयं सेवक रखा जावे एवं स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जावे।
15. यह आदेश राज्य शासन द्वारा जारी नियमों एवं निर्देशो के अधीन होगी।
16. उपरोक्त शर्तो के उल्लघंन करने की दशा में इसकी समस्त जबाबदारी आयोजक की होगी तथा नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

Office of the District Magistrate RAIPUR (C.G.)

D:\Shri Sahu A-S-W/General letter.doc1563

17. इन सभी शर्तो के अतिरिक्त भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग तथा जिला प्रशासन, रायपुर द्वारा समय समय पर जारी निर्देश/आदेश का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश में निहित शर्तो के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकुल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जावेगी।

(कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी महो. द्वारा अनुमोदित)

अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

पृ. क्रमांक/1138/अ.जि.द/एस.डब्ल्यू./2021

रायपुर दिनांक 07/10/2021

प्रतिलिपि :–

1. आयुक्त, रायपुर संभाग, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
2. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर रेंज, रायपुर की ओर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, शहर/यातायात, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. सर्व संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. सर्व नगर पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. सर्व जोन आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सर्व थाना प्रभारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. उप संचालक, जन सम्पर्क, जिला रायपुर को सभी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाने हेतु प्रेषित।

अपर कलेक्टर
एवं अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी
रायपुर

D:\ Shri Sahu A-S-W/General letter.doc1564